जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर

दुग्ध संकलन परिवहन निविदा प्रपत्र

अवधि दो वर्ष (01.01.2022 से 31.12.2023)

-: अनुक्रमणिका :-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	मुख पृष्ठ	01
2.	निविदा विज्ञापन	02
3.	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश	03 से 06
4.	दुग्ध संकलन मार्गों की सूची	07 से 10
5.	अनुबंध पत्र प्रारूप	11 से 22
6.	निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रपत्र	23
7.	शपथ पत्र	24
	योग पृष्ठ संख्या	24

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्र:- करौंदा नाला इमलिया,

जबलपुर, पो.बाक्स 2, अधारताल, जबलपुर 482004 (म0प्र0)

दूरभाष पी0 बी0 एक्स. 9406900468

निविदा प्रपत्र दर रु. 500 मात्र

GST: 23AAAAj0485D1
PAN: AAAAJ0485D

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज़ अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

ISO. 9001 : 2015 & 22000: 2005

+91 9406 900 500 +91 8305 225 339 www.sanchijabalpur.com jdssanchi@gmail.com करौंदा-इमलिया, कटनी रोड, आधारताल, जबलपुर 482004 (म.प्र.)

क्रमांक/3806/जेएसडीएस/क्षेसं/निविदा 2022–24/2021 जबलपुर, दिनांक– 18 Nov. 2021

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु ई–निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित., जबलपुर अन्तर्गत दुग्ध संयंत्र/शीतकेन्द्र कटनी (स्लीमनाबाद), मण्डला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, केवलारी (सिवनी), बालाघाट, चाकघाट, मऊगंज, सेमरिया, सिरमौर, रामपुर नैकिन (सीधी), मऊ ब्यौहारी (शहडोल), केशवाही (शहडोल), सतना एवं सिंगरौली से सम्बद्ध विभिन्न दुग्ध संकलन मार्गों पर दुग्ध सहकारी समितियों से संयंत्र/शीतकेन्द्र तक दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर मार्ग सम्बन्धी विवरण, नियम एवं अन्य शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.11.2021 से रू. 500/– ऑनलाईन जमा कर www.mptenders.gov.in से क्रय कर दिनांक 11.12.2021 समय दोपहर 1:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रतिभूति राशि रू. 5,000/– (रू. पांच हजार) उक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

-निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश-

01- निविदा अमानत की राशि रुपये 5,000.00 (पांच हजार मात्र) website www.mptenders.gov.in पर आनलाईन जमा करनी होगी।

02- प्रत्येक मार्ग के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी। उक्त निविदा अवधि प्रथमतः दो वर्ष **अवधि 01.01.2022 से 31.12.2023** होगी परंतु कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से उक्त अवधि में एक-एक वर्ष वृद्धि करते हुए अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि 3 वर्ष तक की जा सकेगी।

03- निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित माने जावेंगे, निविदा दरें प्रति किलोमीटर में प्रस्तुत की जानी है। निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर निविदाकार का पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्यतः चस्पा किया जावे।

04- किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो निविदा के साथ इस आशय का मुख्त्यारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।

05- निविदा अस्वीकृत होने पर अमानत राशि निविदाकार के खाते में स्वतः वापिस हो जावेगी।

06- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित अवधि में सुरक्षा निधि रूपये 10,000.00 (रू. दस हजार मात्र) जमा कर रूपये 1,000.00 (रु. एक हजार मात्र) के नान ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर एवं वॉटर मार्क पेपर पर टाइप करवाकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध नहीं किया जाता है तो ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।

07- सफल निविदाकार को एक माह के देयक के बराबर सुरक्षा निधि राशि दुग्ध संघ में जमा करना होगी। इसमें से रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा करवाकर शेष राशि परिवहन देयकों से अनुबंध अवधि के प्रथम तीन माह के अन्दर काट कर जमा कर ली जावेगी। अमानत राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

08- पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ द्वारा उसे जिस मार्ग के लिये स्वीकृत किया जावेगा वह निविदाकार को मान्य होगा।

09- किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

10- निविदा स्पष्ट पूर्ण भरी होनी चाहिये। अस्पष्ट निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

11- निविदा प्रपत्र के साथ वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं बीमा संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति बेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है एवं निविदा स्वीकृत होने पर सत्यापन हेतु उनकी मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी परन्तु यदि निविदाकार द्वारा वाहन क्रय किया जा चुका है एवं किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तान्तरित नहीं हुआ है तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवश्यक होगा कि निविदा के साथ वाहन खरीदी से सम्बन्धित विक्रय प्रमाण पत्र (सेल डीड) प्रमाण (सेल डीड/विक्रय प्रमाण पत्र) वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी छायाप्रति एवं मूल पंजीयन प्रस्ताव प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

12- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर लाना होगा।

13- परिवहन ठेकेदार को परिवहन कार्य प्रारंभ करने के एक माह के अन्दर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ के उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नहीं लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार के देयक से काटा जावेगा।

14- सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर दुग्ध संघ के अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा, जिसकी राशि परिवहनकर्ता के देयक से काटी जावेगी। यदि उनके द्वारा जीपीएस नहीं लगवाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा अपने अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस सिस्टम लगवाया जावेगा एवं व्यय की राशि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

15- आयकर विभाग से जारी स्थाई लेखा संख्या (PAN) की स्व–प्रमाणित (Self Attested) प्रति संघ को प्रस्तुत करना होगा तभी परिवहन देयकों का भुगतान किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र के साथ पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड– कोई एक) की छायाप्रति जो स्व–प्रमाणित हो अपलोड करना आवश्यक होगा।

16- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अनुबंध हेतु प्रतिभूति राशि के साथ जबलपुर दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रू. 100.00 (एक सौ रूपये) शुल्क जमा करना होगा। ऐसा सदस्य संस्था के प्रबंधन, मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगा। संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बने रहने तक वह नाममात्र का सदस्य बना रहेगा।

17- निविदायें आनलाईन निर्धारित तिथि, समय एवं दुग्ध संघ कार्यालय में समिति के समक्ष खोली जावेंगी।

18- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अनुबंध पत्र सम्पादित नहीं करने की स्थिति में अथवा दुग्ध परिवहन कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।

19- निविदाकार द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जावेंगी उसका परीक्षण दुग्ध संघ की समिति द्वारा वास्तविक व्यय की गणना कर किया जावेगा। यदि दरें वास्तविक व्यय से कम पाई जाती हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इसे निरस्त करने का अधिकार होगा।

20- निविदाकार अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को दूध के निजी व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होना चाहिए।

21- ऐसे निविदाकार जिन्होंने विगत वर्षों में दुग्ध संघ अंतर्गत दुग्ध संकलन परिवहन का कार्य किया है एवं उनके देयकों में से काटी गई खट्टे/फटे दूध की राशि कुल परिवहन देयक राशि के 10 प्रतिशत या उससे अधिक है तो ऐसे निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा।

22- निविदा कार्यक्रम की जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	अ. क्र.	जिले का नाम	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	निविदा की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	1	कटनी	स्लीमनाबाद—ढीमरखेड़ा	11.12.2021	13.12.2021
2	2	कटनी	स्लीमनाबाद—बहोरीबंद	11.12.2021	13.12.2021
3	1	मण्डला	मण्डला—बिछिया	11.12.2021	13.12.2021
4	1	नरसिंहपुर	उसरी—मुंगवानी—नरसिंहपुर	11.12.2021	13.12.2021
5	1	छिंदवाड़ा	अम्बामाली—खेड़ी	11.12.2021	13.12.2021
6	1	सिवनी	केवलारी—मुंगवानी—घुडसार	11.12.2021	14.12.2021
7	2	सिवनी	केवलारी—भादूटोला—झगरा—केवलारी	11.12.2021	14.12.2021
8	1	बालाघाट	हट्टा—भालवा—मोहगांवखुर्द	11.12.2021	14.12.2021
9	1	सतना	सतना—बर्ती—खोहर—रामपुर	11.12.2021	14.12.2021
10	2	सतना	अमरपाटन—रामनगर	11.12.2021	14.12.2021
11	3	सतना	अमरपाटन—ताला	11.12.2021	14.12.2021
12	1	सिंगरौली	बरवाडीह—चितरंगी	11.12.2021	14.12.2021
13	1	रीवा	ककरहा—बड़ागांव	11.12.2021	15.12.2021
14	2	रीवा	मऊगंज—मनिकवार—गछिगवां—देवतालाब	11.12.2021	15.12.2021
15	3	रीवा	सेमरिया—रीवा (आर.सी.एम. परिवहन)	11.12.2021	15.12.2021
16	4	रीवा	सिरमौर—जवा—खरपटा	11.12.2021	15.12.2021

17	5	रीवा	सिरमौर–उमरी–रामपुर	11.12.2021	15.12.2021
18	6	रीवा	सिरमौर–लालगांव	11.12.2021	15.12.2021
19	1	सीधी	रामपुर नैकिन–भितरी	11.12.2021	16.12.2021
20	2	सीधी	रामपुर नैकिन–गड़हरा	11.12.2021	16.12.2021
21	1	शहडोल	मऊ–डोगरीटोला	11.12.2021	16.12.2021
22	2	शहडोल	मऊ–रीवा (आरसीएम परिवहन)	11.12.2021	16.12.2021
23	3	शहडोल	जैतपुर–केशवाही	11.12.2021	16.12.2021
24	4	शहडोल	अनूपपुर–केशवाही	11.12.2021	16.12.2021

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

दुग्ध संकलन परिवहन मार्गों की सूची–

(अवधि 01.01.2022 से 31.12.2023)

(1) दुग्ध शीत केन्द्र, कटनी –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	स्लीमनाबाद–ढ़ीमरखेड़ा	टाटा एस	0.8	134	10.00	टाटा एस	2018
2	स्लीमनाबाद–बहोरीबंद	आटो	0.8	85	10.00	टाटा एस	2018

(2) दुग्ध शीत केन्द्र, मण्डला –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	मण्डला–बिछिया	ऑटो	1.0	100	8.00	टाटा एसीई, मेघा एक्सएल या समकक्ष वाहन	2018

(3) दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	उसरी–मुंगवानी–नरसिंहपुर	टाटा एस (छोटा हाथी)	1.5	140	9.35	टाटा एस (छोटा हाथी)	2018

(4) दुग्ध संयंत्र, छिंदवाड़ा –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	अम्बामाली–खेड़ी	छोटा हाथी एच.डी.एम्सल	1.5	80	10.58	अशोक लीलेण्ड (1.5)	2018

(5) दुग्ध शीत केन्द्र बण्डोल, जिला– सिवनी –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी. टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	केवलारी–मुंगवानी–घुडसार	सुपर केरी	1.5	107	12.50	सुपर केरी 1.5	2018
2	केवलार–भादूटोला–झगरा–केवलारी	योद्धा पिकअप	1.5	95	13.00	योद्धा पिकअप 1.5	2018

(6) दुग्ध शीत केन्द्र, बालाघाट –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	हट्टा–भालवा–मोहगांवखुर्द	बोलेरो पिकअप	1.5	80	10.00	1.5	2018

(7) दुग्ध शीतकेन्द्र, चाकघाट –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	ककरहा–बड़ागांव	आटो	0.4	84	6.50	आटो/ समकक्ष	2018

(8) दुग्ध शीतकेन्द्र, मऊगंज –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	मऊगंज–मनिकवार–गछिगवां–देवतालाब	महिन्द्रा जीतो	0.7	123	9.80	महिन्द्रा जीतो/ समकक्ष	2018

(9) दुग्ध शीतकेन्द्र, सेमरिया –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी. टन)	माडल वर्ष
1	सेमरिया–रीवा (आर.सी.एम. परिवहन)	पिकअप	1.4	85	12	पिकअप/ समकक्ष	2018

(10) दुग्ध शीतकेन्द्र, सिरमौर –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	सिरमौर–जवा–खरपटा	आटो	0.4	80	6.95	आटो / समकक्ष	2018
2	सिरमौर–उमरी–रामपुर	आटो	0.4	80	6.50	आटो / समकक्ष	2018
3	सिरमौर–लालगांव	आटो	0.4	90	5.45	आटो / समकक्ष	2018

(11) दुग्ध शीत केन्द्र, रामपुर नैकिन (सीधी) –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी. टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	रामपुर नैकिन–भितरी	आटो	0.4	95	6.50	आटो / समकक्ष	2018
2	रामपुर नैकिन–गड़हरा	आटो	0.4	60	5.90	आटो / समकक्ष	2018

(12) दुग्ध शीत केन्द्र, मऊ ब्यौहारी (शहडोल) –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी. टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	मऊ–डोंगरीटोला	पिकअप	1.4	84	12.00	पिकअप / समकक्ष	2018
2	मऊ–रीवा (आरसीएम परिवहन)	पिकअप	1.4	160	12.00	पिकअप / समकक्ष	2018

(13) दुग्ध शीत केन्द्र, शहडोल –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी. टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	जैतपुर–केशवाही	-	-	140	-	टू व्हीलर	2018
2	अनूपपुर–केशवाही	-	-	130	-	बुलेरो पिकअप	2018

(14) दुग्ध शीत केन्द्र, सतना –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी. टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	सतना–बर्ती–खोहर–रामपुर	टाटा एस	0.7	150	7.56	टाटा एस/समकक्ष	2018

(15) दुग्ध शीत केन्द्र, अमरपाटन –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी. टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	अमरपाटन–रामनगर	महिन्द्रा जीतो	0.7	125	10.10	महिन्द्रा जीतो/समकक्ष	2018
2	अमरपाटन–ताला	आटो लोडर मिनी	0.4	110	9.00	आटो लोडर/समकक्ष	2018

(16) दुग्ध शीत केन्द्र, चितरंगी, जिला– सिंगरौली –

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अपेक्षित वाहन का प्रकार एवं क्षमता (मी.टन)	माडल वर्ष
1	बरवाडीह–चितरंगी	बजाज आटो गुड केरियर	1.0	106	9.50	बजाज आटो 0.5	2018

नोट– प्रतिपाली दर्शायी गई दूरी अनुमानित है। वास्तविक दूरी कम/अधिक भी हो सकती है।

अनुबंध का प्रारूप

अनुबंधकर्ता का फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ....को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष (निविदाकार) श्री/श्रीमति............ .... निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमति... हैं।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रह स्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी................................/दुग्ध शीत केन्द्र...........................तक एवं आरएमआरडी....................................../दुग्ध शीत केन्द्र......................... ....से खाली केन ढ़क्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुंचाने हेतु परिवहन करने वास्ते द्वितीय पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक...से प्रथम पक्षकार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रूपये...अक्षरी रूपये.................................... ....प्रति कि.मी. पर निम्नलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है:–

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षों को मान्य होगी –

01. यह कि अ) ठेका अवधि दिनांक................................से दिनांक..............................तक प्रभावशील रहेगा।
    ब) अनुबंध दो वर्ष पश्चात् संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक–एक कर अधिकतम तीन वर्ष तक (कुल 5 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।

02. यह कि इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहां–जहां दुग्ध संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर माना जावेगा, डेयरी का तात्पर्य जबलपुर डेयरी या शीत केन्द्र,............................ ....होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।

03. यह कि (अ) प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढ़क्कन सहित संस्थाओं में पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढ़क्कन सहित डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र तक लाने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी द्वितीय पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी संस्था का दूध न लाने की दशा में द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना प्रथम पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जांच करने पर प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

(ब) अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पाईण्ट से दूध उठाने, खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पाईण्ट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

(स) केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में द्वितीय पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी एवं किया गया कटौत्रा वापस नहीं किया जावेगा।

04. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशु आहार, घी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, घी-टीन/पैकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्षकार के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

05. यह कि यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और प्रथम पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो द्वितीय पक्ष को उन पालियों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।

06. यह कि निर्धारित समय में संस्थाओं का दूध डेयरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेयरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है, एवं प्रथम पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टा/फटा दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

07. यह कि संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

08. यह कि प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्याकृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हो, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को खट्टा होने पर 50% एवं फटा होने पर 70% मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।

09. यह कि क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या-कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिये दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

10. यह कि एक्सीडेन्ट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।

11. यह कि वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता है या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही की जा सकेगी।

12. यह कि द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

13. यह कि संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. यह कि संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार की

स्थिति आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर, जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

15. यह कि (अ) पशु आहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा रू. 5/— प्रति बैग की दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा। समिति प्वाईन्ट पर पशु आहार उतारने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशु आहार ले जाना आवश्यक होगा।

(ब) यह कि पशु आहार के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी। यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी एवं हानि होने पर द्वितीय पक्ष के देयक से राशि काटी जा सकेगी।

(स) द्वितीय पक्ष द्वारा संघ को होने वाली किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष से की जावेगी। द्वितीय पक्ष की अनुपस्थिति/क्षतिपूर्ति में असमर्थता होने पर क्षतिपूर्ति की संपूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षरित जमानतदार की होगी।

(द) यह कि संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशु आहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशु आहार की राशि एवं साथ ही रु. 200.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।

(इ) यह कि पशु आहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर द्वितीय पक्ष से प्रतिदिन प्रति बेग रु. 200.00 के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशु आहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पशु आहार पहुंचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय द्वितीय पक्ष के देयक से काटा जावेगा।

16. यह कि (अ) संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रकशीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा। डिलेवरी चालान ट्रकशीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा, ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें द्वितीय पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समस्त समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी

कराई जावेगी। समिति की खाली केन दूध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदान की जावेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारे जाते हैं तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा दुरूपयोग पर आर्थिक दण्ड दिया जा सकेगा।

(ब) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या-कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगा।

(स) द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 02 वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

17. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तातांरण न करते हुये वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18. यह कि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नही के प्रमाण पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लें। यदि कटौत्रा शेष रहता है, तो वसूली हेतु द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षरित जमानतदार जिम्मेदार होगा तथा इसके पश्चात भी कटौत्रा शेष रहने पर शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्व किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गो पर भी वाहन चल रहें है तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

19. यह कि संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गो को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन

किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है। इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढ़े, उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गो में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से संबंद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंध दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20. यह कि अनुबंधित वाहनों के ऊपर एवं पीछे त्रिपाल का हुड आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फटे दूध की हानि राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दण्ड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी द्वितीय पक्ष के देयक से किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिड़कने की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

21. यह कि यदि चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते है या किसी भी प्रकार की अनियमित्तायें करते पाये जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को हानि हुई है तो उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। यह राशि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

22. यह कि वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

23. यह कि द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबंदी नहीं करेगा एव ना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड दिया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

24. यह कि डेयरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने, धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनों को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे। वाहन धुलाई/साफ–सफाई का कार्य दुग्ध संघ परिसर में नहीं किया जावेगा। यदि किसी परिवहन ठेकेदार/उसके कर्मचारी द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो रू. 500/– प्रतिदिवस का आर्थिक दण्ड उस पर आरोपित किया जावेगा।

25. यह कि वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने, उतारने, सामान की देख–रेख करने एवं केनों पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी द्वितीय पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।

26. यह कि वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घण्टों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

27. यह कि दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाऐं जिसमें **"दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है"** एवं सुदाना, पशु आहार तथा दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा एवं इसकी राशि द्वितीय पक्षकार द्वारा देय होगी। ऐसा न करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा विज्ञापन छपवाये जावेंगे एवं व्यय की राशि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी।

28. यह कि दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष के अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस लगवाया जावेगा जिसकी राशि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन की जावेगी। ऐसा न करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस सिस्टम लगवाया जावेगा एवं व्यय की राशि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से अनिवार्यतः काटी जावेगी।

29. यह कि इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका हस्ताक्षरित जमानतदार जिम्मेदार रहेगा।

30. यह कि परिस्थितिवश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

31. यह कि द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमति/कु.. संबंध.........................उम्र ....को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमति/कु..को संघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति, वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जावेगा।

32. यह कि संघ के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जांच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।

33. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाऐं जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, वाहन चालक का हैवी ड्रायविंग लाईसेन्स होना अनिवार्य है जिसकी एक प्रति अनुबंध के साथ कार्यालय को जमा की जावेगी। कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र, फोटो एवं ड्रायविंग लाईसेन्स कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश द्वितीय पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

34. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित है तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं है और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाड़ा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।

(अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।

(ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदें डेयरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।

(स) दिये गये दूध एवं दूध पदार्थों की पावती संघ में लाकर देनी होगी।

(द) समय पर दूध एवं दूध पदार्थ नहीं पहुंचाने की स्थिति में संपूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

35. यह कि स्थानीय, मध्यप्रदेश, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर द्वितीय पक्ष देगा।

36. यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

37. यह कि द्वितीय पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में द्वितीय पक्ष असफल होता है, तो प्रथम पक्ष द्वारा जो व्यवस्था की जावेगी वह द्वितीय पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुए अपने वाहन का उपयोग द्वितीय पक्ष करता है तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से काटने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

38. यह कि दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगी।

39. यह कि द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर वाहन की पेनल हाईट वाहन की क्षमता अनुसार 3 से 4 फीट रखनी होगी, जिसका व्यय स्वयं परिवहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।

40. यह कि वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगीः–

0.5 टन क्षमता का वाहन	13 केन
1 टन क्षमता का वाहन	25 केन
1.5 टन क्षमता का वाहन	40 केन
2 टन क्षमता का वाहन	50 केन
3 टन क्षमता का वाहन	75 केन

अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रू. 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

41. यह कि परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 01 से दिनांक 15 तक के देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक के देयक आगामी माह की दिनांक 03 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।

42. यह कि संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लिप एवं एडवाईज पहुंचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से राशि रूपये 10.00 दण्ड स्वरूप द्वितीय पक्ष के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

43. यह कि यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फैट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 03 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे,

अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनो में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

44. यह कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परंतु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में, पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर सकेगें व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

45. यह कि संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घण्टे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फटे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेयरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

46. यह कि स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :—

क्रमांक	वाहन की क्षमता	औसत प्रति लीटर
1	0.5 टन	25 कि.मी.
2	1.0 टन	15 कि.मी.
3	1.5 टन	10 कि.मी.
4	2.0 टन	10 कि.मी.
5	03 टन	08 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, ऑईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

47. यह कि अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के

अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को ही रखना होगा।

48. यह कि विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20% का कटौत्रा किया जावेगा किंतु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2-3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया जाता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

49. यह कि संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर (बी.एम.सी.) स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

50. यह कि डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अंतर की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जा सकेगी।

51. यह कि संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका संपूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

52. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।

53. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5,000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

54. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

55. यह कि द्वितीय पक्षकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास 10 से अधिक कमर्शियल व्हीकल नहीं है, यदि ऐसा होता है तो द्वितीय पक्षकार उसकी जानकारी अलग से देगा एवं ऐसी स्थिति में परिवहन देयक से टीडीएस कटौती की जा सकेगी।

56. यदि दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार के वाद अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका निराकरण आर्बिट्रेशन के माध्यम से किया जावेगा एवं निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।

57. न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र जबलपुर रहेगा।

मैं श्री/श्रीमति..द्वितीय पक्षकार ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भली भांति एवं होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा/अनुबंध की समस्त शर्तें मान्य है। निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

प्रथम पक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता...
नाम...
पिता/पति का नाम...
पता...
....
दूरभाष क्र. ....
मोबाईल नम्बर ....
स्थाई लेखा संख्या पेन ....

प्रथम पक्ष के गवाह का नाम एवं पता

(1) हस्ताक्षर ....
नाम...
पता ....
मोबाईल नं. ....
आई.डी. प्रूफ...

(2) हस्ताक्षर ....
नाम...
पता ....
मोबाईल नं. ....
आई.डी. प्रूफ...

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

(1) हस्ताक्षर ....
नाम...
पता...
मोबाईल नं. ....
आई.डी. प्रूफ...

अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं पता

(1) हस्ताक्षर ....
नाम...
पता ....
मोबाईल नं. ....
आई.डी. प्रूफ...

(2) हस्ताक्षर ....
नाम...
पता ....
मोबाईल नं. ....
आई.डी. प्रूफ...

नोटः– उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक, दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र
सील सहित

-------***-------

निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक अपना पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाएं ।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
जबलपुर (म0प्र0)

विषय– दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा ।

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दिनांक .... के संस्करण में प्रकाशित की गई दुग्ध परिवहन निविदा सूचना के संदर्भ में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त अनुबंध की समस्त शर्त एवं अन्य जानकारी मैंने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली है। तद्नुसार डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र .... से संचालित दुग्ध संकलन मार्ग (नाम) .... क्रमांक .... के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा सम्बन्धी जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) निविदाकार का विवरणः– ....

निविदाकार का नाम– ....

- पिता/पति का नाम– ....
- पत्र व्यवहार का पता– ....
  ....
- स्थाई पता– ....
  ....
- दूरभाष क्रमांक– ....
- स्थाई लेखा संख्या (पेन नं.)– ....

(2) वाहन का विवरणः–

- वाहन का प्रकार– ....
- माडल वर्ष– ....
- वाहन का पंजीयन क्रमांक– ....
- वाहन का भार क्षमता मी.टन– ....

(3) जमा की गई अमानत (ई.एम.डी.) राशि रूपये 5,000/– का विवरणः–रसीद/........................ दिनांक .... बैंक का नाम ....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य व सही है। यदि दी गई जानकारी किसी भी समय त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एवं इस संबंध में जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक ....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम– ....

शपथ–पत्र (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं...निवासी..जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र .... के दुग्ध संकलन मार्ग .... के दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दूध के निजी व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आबंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा, उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक : हस्ताक्षर

नाम...

पता...

....

हस्ताक्षर...